

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 404/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.10.2026

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

□ रामप्रसाद यादव पर जानलेवा हमले के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, एक तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में थाना जीयनपुर पुलिस ने दिनांक 21.10.2026 को जानलेवा हमले के मुकदमे में प्रकाश में आए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

घटना का विवरण- दिनांक 19.10.2026 को वादी रघुनाथ यादव पुत्र स्व० रामकिशुन यादव, निवासी ग्राम पारनकुण्डा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी कि पुरानी रंजिश को लेकर उनके पुत्र रामप्रसाद यादव पर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु०अ०सं० 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 21.10.2026 को उ०नि० जाफर खाँ मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त आशु गौड़ पुत्र जयनाथ गौड़, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी चौको बुजुर्ग तथा नरायन पटेल पुत्र सुदामा पटेल, उम्र करीब 43 वर्ष, निवासी कोडरा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को जम्मनपुर नहर के पास रास्ते से समय करीब 13:20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नरायन पटेल के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त आशु गौड़ ने बताया कि घटना से पूर्व अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रामप्रसाद यादव एवं उनके भाई पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गिराने के पश्चात लाठी-डंडों एवं लात-मुक्कों से मारपीट की गई। अभियुक्त नरायन पटेल ने भी घटना के संबंध में आशु गौड़ द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि की तथा अपने पास तमंचा एवं कारतूस रखने की बात स्वीकार की।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आशु गौड़: मु०अ०सं० 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

अभियुक्त नरायन पटेल:

- मु०अ०सं० 0428/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर।
- मु०अ०सं० 431/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर।
- मु०अ०सं० 537/2022 धारा 323/506 भादवि, थाना जीयनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० जाफर खाँ, का० मेराज अली, का० दीनदयाल कुशवाहा, का० दीपक सिंह, का० विशाल श्रीवास्तव एवं का० अनूप सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद-आजमगढ़

☐ पुलिस स्मृति दिवस पर अमर शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

आज दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित स्मृति स्थल पर पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा प्रातः 08:00 बजे शहीद पुस्तिका का वाचन कर कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

➡ ☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस, त्याग एवं सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

➡ ☐ इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मानुष पारीक, सहायक कमांडेंट पीएसी श्री देव आनंद, क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री भूपेश पांडेय, क्षेत्राधिकारी लालगंज श्रीमती आस्था जायसवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री ईश्वर लाल गुर्जर सहित समस्त क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारीगण एवं अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

➡ ☐ शहीद पुलिसकर्मियों का सर्वोच्च बलिदान सदैव पुलिस बल को कर्तव्यनिष्ठा, साहस एवं जनसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

